दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 19-08-2025

भास्कर खास

सहायक भू-जल विज्ञानी के पद भर्ती नियम को दी गई चुनौती, हाई कोर्ट ने कहा-

'भर्ती योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार'

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी एवं भूवैज्ञानिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 को लेकर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि भर्ती योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। इस फैसले के बाद सहायक भू-जल विज्ञानी के पद के लिए अब केवल भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री ही मान्य होगी।

मधुकर पटेल, श्रुति वर्मा, कर्णिका द्विवेदी समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) और एम.टेक (मृदा एवं जल अभियांत्रिकी) की डिग्री ली है, जो भूविज्ञान की डिग्री के समकक्ष है। उनका आरोप था कि फरवरी 2020 में जारी विज्ञापन में योग्यता केवल भूविज्ञान तय कर दी गई, जिससे वे और उनके जैसे कई योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। याचिका में भर्ती नियम 2014 की अनुसूची-III को चुनौती देते हुए एम.टेक (मृदा एवं जल अभियांत्रिकी) को भी मान्यता देने की मांग की थी।

राज्य सरकार ने कहा- दोनों अलग-अलग विषय

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि भूविज्ञान और मृदा-जल अभियांत्रिकी दोनों अलग-अलग विषय हैं। भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, बांध और जलाशयों जैसे निर्माण कार्यों से जुड़ा है, जबकि मृदा एवं जल अभियांत्रिकी कृषि क्षेत्र तक सीमित है। इसलिए दोनों को एक-दूसरे का समकक्ष नहीं माना जा सकता। सरकार ने कहा कि किसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना नियोक्ता का अधिकार है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

हाई कोर्ट ने कहा- नियम असंवैधानिक नहीं

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद माना कि भूविज्ञान और मृदा-जल अभियांत्रिकी अलग-अलग क्षेत्र हैं और भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित योग्यता सही है। इसके अलावा कहा कि भर्ती नियम बनाना राज्य का अधिकार है और यह किसी भी रूप में असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 2020 में जारी विज्ञापन के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश भी दिए जा चुके हैं।